.उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

🔅 पुग्डांवेट

355/comp 15.2.16 यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स ए—1/4, लखनपुर, पोस्ट बाक्स नं0 1050, कानपुर—208 024

दूरगाष : 2582851--53 फैक्स : (0512) 2580797 वेबसाईट : www.upsidc.com र्ड मेल = feedback@upsidc.com

सन्दर्भ सं0

/एसआईडीसी/आईए/एचंओ/

दिनांक

-: कार्यालय आदेश :--

निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.12.15 को सम्पन्न 289वीं बैठक में एकीकृत औद्योगिक नगरी में आवासीय भूखण्डों के आरक्षित वर्गी के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेशों को अवक्रमित करते हुए विभिन्न वर्गी में आरक्षण पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करत हुए निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है:—

1.	सामान्य	-	50%
2.	उद्यमी वर्ग / सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत इकाई के	-	2798
	कार्मिक (इकाई द्वारा संस्तुत)		
3.	उत्तर प्रदेश के सांसद / विधायक (वर्तमान एवं पूर्व)		5%
4.	उ० प्र0 शासन के कार्मिक	_	5%
5.	निगम के पूर्ण कालिक नियमित कर्मचारियों / अधिकारियों / प्रतिनियुक्ति		5%
	पर आये अधिकारियों एवं निदेशक मण्डल के सदस्यों हेतु		
6.	प्रदेश में बेंच / बार से सम्बन्धित आवेदक	_	3%
7.	उत्तर प्रदेश में प्रेस से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त पत्रकार/	_	3%
8.	प्रदेश के विकलांग व्यक्ति	-	2%

उपरोक्त में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था हॉरिजन्टली शासनादेश के अनुसार उपलब्ध रहेगी। वर्ग का चयन करने पर आवेदन उसी श्रेणी में विचारित किया जायेगा। एक बार किसी भी स्कीम में आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड उपलब्ध हो जाने पर दुवारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। उपरोक्त आरक्षित वर्ग के बिन्दु 4 एवं 5 में वर्णित वे ही कार्मिक पात्र होगें जो निम्न शर्ते पूर्ण करते हों :--

- 1. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं शासन के कार्मिक पूर्णकालिक होगें तथा निगम एवं शासन में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवायें पूर्ण कर चुके हो तथा आवंटित भूखण्ड को 10 वर्षो तक पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त किन्ही अन्य को हस्तान्तरित नहीं कर सकेगें।
- 2. एक कार्मिक अथवा उसका परिवार एक ही आवेदन कर सकेंगा।
- 3. प्रत्येक स्कीम में ऐसे कार्मिक एवं उनके परिवारजन जिन्हें पूर्व की आवासीय स्कीम में भूखण्ड प्राप्त हो चुका है, आवेदन नहीं कर सकेंगें।

- 4. ऐसे कार्मिक जिन्हें किसी अदालत अथवा प्रशासनिक विभाग द्वारा कोई दण्ड दिया गया हो वे आवेदन हेत् अर्ह नही होगें।
- 5. भूखण्डों की संख्या से आवेदन ज्यादा होने पर आवेदित भूखण्ड के आकार की श्रेणीवार लाटरी की जाएगी।
- 6. आवंटन प्रचलित दर पर किया जाएगा तथा भूमि की लागत का भूगतान, ब्याज में छूट आदि भी सामान्य आवंटियों की भाँति ही देय होगी तथा किसी भी प्रकार से कोई अनुदान नही दिया जाएगा।
- 7. अन्य सभी शर्ते जो सामान्य आवेदकों के लिये लागू होती है इन आवंटनों पर भी लागू होगीं
- 8. निगम के प्रवन्ध निदेशक प्रत्येक स्कीम में आरक्षित भूखण्डों का प्रतिशत निर्धारित करने के लियं सक्षम होगें।

उपरोक्त के अतिरिक्त निगम की ट्रान्स गंगा परियोजना में आवासीय भृखण्डों के विपणन हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं ब्रोशर में सम्मिलित की गयी शर्तो पर भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

> (मनोज सिंह) प्रबन्ध निदेशक

संख्या 3242-46 एसआईडीसी-आईए-पॉलिसी वॉल्यूम-16 दिनांक 08 - 2 - 2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

1. मुख्य अनियन्ता, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।

महाप्रबन्धक (विकास), उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर को निगम की वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेत् प्रेषित।

3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०ति०, मुख्यालय, कानपुर।

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी / क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,.....

 समस्त अधिकारी / कर्मचारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।

an phylometry 146

(मनोज सिंह) प्रबन्ध निदेशक

Mgr (c) Dung! Sully 16

SIDC#A/HO/POLICY VOLU-16